कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः– एफ–6 (   ) आ.राज. (सा.प्र.)/ननिज/2013/ 54 दिनांकः– 1/5/13

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर यूनिपोल साईट, साईज (16'X8' एवं 30'X15') एवं ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड) पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स नीलामी द्वारा लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउन्ड़ फ्लोर पर कमरा नं. 106 के बाहर किया जायेगा।

नीलामी दिनांक **03.06.2013 से 05.06.2013 को** प्रातः 11:00 बजें से सायं 5.00 बजे तक की जावेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1.	यूनिपोल– मोती डूंगरी जोन, सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जोन, मानसरोवर जोन –	03.06.2013	16'X8' साईज के यूनिपोल के 5,000/– रू. (पांच हजार रू.) प्रति साईट व 30'X15' साईज के यूनिपोल के 15,000/– रू. (पन्द्रह हजार रू.) प्रति साईट
2.	यूनिपोल– सांगानेर जोन, आमेर जोन, हवामहल जोन (पूर्व)	04.06.2013	16'X8' साईज के यूनिपोल के 5,000/– रू. (पांच हजार रू.) प्रति साईट व 30'X15' साईज के यूनिपोल के 15,000/– रू. (पन्द्रह हजार रू.) प्रति साईट
3.	ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड पर) एवं शेष रही यूनिपोल साईटें	05.06.2013	ट्राईऐंग्यूलर साईनेज प्रति (रोड़ आईलैण्ड पर) के 5,000 /– रू. (पांच हजार रू.)

नीलामी की प्रमुख शर्तें :–

1. उपरोक्त यूनिपोल एवं ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड) पर विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे।
2. इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व शर्तो के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक यूनिपोल एवं ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड) पर की नीलामी एकसाथ की जावेगी।

3. उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।

4. किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

5. यूनिपोलों एवं ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड) पर की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जा सकेगी।

6. नीलामी की अन्य शर्तें एवं यूनिपोल एवं ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड) पर की सूची व शर्तो की जानकारी राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर SW-205 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है।

7. नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है। एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।

8. नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।

—sd—
आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की व्यवस्था करें ।
2. प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

Rec. 11/5/2013